(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 54 / 2022 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. हुकुमचन्द पि. रामदयाल जाति महाजन नि.रायपुर तहसील रायपुर
2. रमेशचन्द पि. रामदयाल जाति महाजन नि.रायपुर तहसील रायपुर
3. सुरेश कुमार पि. रामदयाल जाति महाजन नि.रायपुर तहसील रायपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामलाल पि. रामचन्द्र जाति महाजन नि. गुराडिया तहसील सुसनेर म.प्र.
2. कमलेश कुमार पि. रामचन्द्र जाति महाजन नि. गुराडिया तहसील सुसनेर म.प्र.
3. आयुषी पालीवाल पुत्री लता जाति महाजन नि. गुराडिया तहसील सुसनेर म.प्र.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी
वकील अप्रार्थीगण – श्री विनोद जैन

आदेश **दिनांक :** 16/05/2022

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 995 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 1.4670 हेक्टर , खाता सं. 1077 की वादग्रस्त आराजी किता 5 रकबा 2.1751 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थिगण के शामलाती खातेदारी की भूमि है। उक्त वादग्रस्त आराजियात तत्कालीन खातेदार नारायणलाल पि. द्वारकालाल ने राधाकिशन नि.गुराडिया के यहां गोद जाने से नारायणलाल ने अपना हिस्सा नाथूलाल जो [illegible]ण के दादा थे के पक्ष में छोड दिया था तव से ही प्रार्थी[illegible] वादग्रस्त आ[illegible]पर स्वामी की हैसियत से काविज होकर काश्त कर रहे है। [illegible]न के दत्तक पुत्र [illegible] थे

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.05.23 17:37:27 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

(11)

इसलिये ग्राम रायपुर की आराजी में उनका कोई हक निहित नहीं रहता है। नारायणलाल के लड़के रामचन्दर भी उनके पिता जी कि राधाकिशन के यहां गोद गये उनकी सम्पत्ति पर ही काबिज काश्त रहे और नारायणलाल को राधाकिशन की जो सम्पत्ति प्राप्त हुई है वही सम्पत्ति रामचन्दर को प्राप्त हुई थी। नारायणलाल के गोद चले जाने की वजह से वादग्रस्त आराजी में रामचन्दर व उनके वारिसान का कोई हक नहीं रहा है। नाथूलाल एवं द्वारकालाल दोनों सगे भाई थे और आपसी प्रेम परिवार के सभी सदस्यों में चला आ रहा था इसलिये कभी कोई विवाद नहीं होने से खातेदारी की भूमि में नारायणलाल एवं उनके मरने के बाद रामचन्दर का नाम खाते में चलता रहा परन्तु रामचन्दर के मरने के बाद अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी पर अपना विरासत नामा तस्दीक करवा लिया जबकि अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक नहीं बनता है। अप्रार्थीगण ग्राम रायपुर में निवास नहीं करते है एवं न ही उनका कभी वादग्रस्त आराजी में कब्जा काश्त रहा है। इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। नारायणलाल पि. द्वारकालाल वादग्रस्त आराजी में अपना हक तर्क कर राधाकिशनजी निवासी भुराड़िया म.प्र. के यहां गोद चले गये थे एवं बाद में एक इकरारनामा भी प्रार्थी सं. 1 के पक्ष में रामचन्दर ने लिखवाया था। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण निरन्तर 60 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त चले आ रहे है जिससे प्रार्थीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है क्योंकि प्रार्थीगण निरन्तर 60 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व अप्रार्थी सं. 3 के नाना नारायणलालजी राधाकिशन नि. भुराड़िया म.प्र.के यहां गोद चले गये थे एवं अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण को है क्योंकि अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में नाम दर्ज हो चुका है जिसका नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को रहन ,बय, बेचान , हस्तानान्तरण कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ग्राम रा[illegible] की जमाबंदी सं. 2073-76 के खाता सं. 995 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा [illegible]70 हैक्टर, खाता सं. 1077 की वादग्रस्त आराजी किता 5 रकबा 2.1751 हैक्टर भूमि तारफैसला मूल वाद तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.05.23 17:37:27 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीणा,
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

अथवा हिस्सा तक्सीम बाबत बेचान , हस्तान्तरण नहीं करे एवं प्रार्थीगण को उनकी काश्त में बेदखल नहीं करें। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम रायपुर की नकल जमाबंदी खाता सं. 665 , 1077 की नकल व इकरारनामा की प्रति पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से एडवोकेट श्री विनोद जैन ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को गलत एवं अस्वीकार किया तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात के अप्रार्थी सं. 1 व 2 खातेदार टीनेन्ट है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जो कि सबके ज्ञान में है। मात्र अप्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से ये दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारीज है। वादग्रस्त आराजियात में अप्रार्थी सं. 1 व 2 का 1/6 , 1/6 हक व हिस्सा है जिस पर वे काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खातेदार टीनेन्ट होकर काबिज काश्त होने से सुविधा का संतुलन व प्राईमाफेसी केस अप्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति की संभावना भी अप्रार्थीगण को है जिससे प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से फर्द दस्तावेज के साथ नकल नामा सं. 3662 ग्राम रायपुर , ग्राम गुराडिया म.प्र. की जमाबंदी खाता सं. 33 , 32 , किश्त बंदी खतौनी सं. 1958–59 , सं. 1959–60 , खसरा सं. 1950–51 , नामान्तरण पंजी सं. 1 , 9 नकल खसरा पांच एवं न्यायिक नजीर आर आर टी 2013(1) पेज 515 , AIR 1992 Bombay 189 , सुप्रीम कोर्ट भारत साइटेशन 2017 डीएनजे (एससी) 290–93 पेश की।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र ,राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी खातेदारी की आराजी थी जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बाप दादाओं की थी। नाथूलाल एवं द्वारकाल[...] वादग्रस्त आराजियात तत्कालीन खातेदार नारायणलाल[...] राधाकिशन नि. गुराडिया के यहां गोद जाने से [...] राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज हुआ तथा ग्राम रायपुर की वादग्र[...] आराजी पुश्तैनी शामलाती खाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.05.23 17:37:27 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीणा,)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

(6)

की होने से यहां भी अप्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज रिकार्ड चलता रहा। नारायणलाल के पुत्र रामचन्दर ने वादग्रस्त आराजी में अपना हक तर्क कर राधाकिशनजी निवासी गुराडिया म.प्र. के यहां गोद गये एवं मध्य प्रदेश के राजस्व रिकार्ड ग्राम गुराडिया में रामचन्दर मुतबन्ना राधाकिशन गोद पुत्र के रूप में खातेदार दर्ज हुये।

प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त चले आने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है एवं अप्रार्थीगण के दादा/पिता के गोद चले जाने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण को है क्योंकि अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में नाम दर्ज होने से आराजी को खुर्द बुर्द कर सकते है।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूरनीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण की ही है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ता फैसला मूल वाद तक ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 995 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 1.4670 हेक्टर , खाता सं. 1077 की वादग्रस्त आराजी किता 5 रकबा 2.1751 हेक्टर भूमि को रहन ,बय, बेचान , हस्तानान्तरण नहीं करे एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलांदजी नहीं करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.05.23 17:37:27 IST
Reason: SelfAttested